पशुपालकों ने सीखी हरे चारे को संरक्षित करने की तकनीक

उदयपुर। पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान में प्रतापगढ़ एवं डुंगरपुर जिले के पशुपालकों का तीन दिवसीय आवासीय पशुपालन प्रशिक्षण आयोजित हुआ। उपनिदेशक डॉ. सुरेन्द्र कुमार छंगाणी ने बताया कि प्रशिक्षण में गौ-पालन की नवीनतम जानकारियां देते हुए चारे की कुट्टी बनाकर एवं प्रति दिन पशुओं को नमक खिलाने पर जोर दिया। समापन के अवसर पर पशुपालकों को सम्बोधित करते हुये कहा कि वर्षा के मौसम में प्रचुर मात्रा में हरे चारे की उपलब्धता रहती है, पशुओं को हरा चारा खिलाने के पश्चात शेष बचे अतिरिक्त चारे को वैज्ञानिक तकनीकी से संरक्षित करने से उसकी पौष्टिकता बनाये रखा जा सकता है। अकाल के समय में या चारे की कमी के समय में इस संरक्षित चारे को पशु को उपलब्ध करा कर पशु के उत्पादन को बनाए रखा जा सकता है। हरे चारे को संरक्षित करने की हे एवं साइलेज विधि का विस्तार से प्रशिक्षण दिया। वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी डॉ. पदमा मील ने इस अवसर पर बताया कि पशुपालकों को चाहिए कि उन्हें सूखा चारा उपलब्ध करातें हुए उसकी उपचारित करके उपलब्ध करानें से चारे के पौष्टिकता एवं गुणवत्ता में वृद्धि होती हैं।

जिला स्तरीय जनसुनवाई में आए विभिन्न प्रकरण, कलक्टर ने दिए निस्तारण के निर्देश

प्रतापगढ़,। आमजन की परिवेदनाओं और समस्याओं के त्वरित निस्तारण को सुनिश्चित कर उन्हें राहत प्रदान करने के उद्देश्य से त्रि-स्तरीय जनसुनवाई व्यवस्था के तहत गुरुवार को डीओआईटी के वीसी कक्ष में जिला कलक्टर डॉ. अंजली राजोरिया की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में कुल 27 प्रकरण प्राप्त हुए।

जिला कलक्टर ने कहा कि सम्पर्क पोर्टल और जनसुनवाई से प्राप्त प्रकरणों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण तरीके से समय सीमा के भीतर किया जाए ताकि आमजन को राहत मिल सके।

जिला कलेक्टर ने अधिकारियों से आमजन के प्रकरणों को संवेदनशीलता के साथ सुनने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी अधिकारी संवेदनशीलता के साथ आपसी समन्वय से आमजन के हितार्थ कार्य करें। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने अधीनस्थ कार्यालय के कार्यों की मॉनिटरिंग करें व निचले स्तर तक निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाएं। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई में अपने अधीनस्थों के माध्यम से मौके पर ही परिवादियों की समस्या को सुनकर तुरंत समाधान के प्रयास करें।

इस दौरान जिले के समस्त उपखंड अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने बिना मुंडेर के खुले कुओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक सुरक्षा उपाय एवं कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन को लेकर तैयारियों की भी समीक्षा की गई।

जनसुनवाई में जिला कलक्टर ने भूमि संबंधित, रास्ता खुलवाने, पट्टा जारी करने, कृषि भूमि पर सीमांकन करने,

कलक्टर डॉ. अंजली राजोरिया की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन हुआ।

- अधिकारियों को आवश्यक सुरक्षा उपाय एवं कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए

जमीन आवंटन, पुराने मीटर को हटाने, प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निर्माणधीन आवास, चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने, राजस्व रिकोर्ड में शुद्धिकरण करने एवं ऋण हटाने, राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि अवाप्ति एवं कुआ अधिग्रहण का मुआवजा राशि दिलाने, शहर में बिजली, सफाई कार्य एवं पुलिया निर्माण करवाने सहित अन्य प्राप्त प्रकरणों को धैर्यपूर्वक सुन कर नियमानुसार निस्तारण के निर्देश दिए। जनसुनवाई में अतिरिक्त जिला कलक्टर विजयेश कुमार पंड्या, सीईओ पर्वत सिंह चुंडावत, उपखण्ड अधिकारी प्रतापगढ़ मणिलाल तिरगर, एसीईओ धनदान देथा सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी, कर्मचारी और आमजन उपस्थित रहे।

योग आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, लंगा गायन एवं चरी नृत्य ने लुभाया

उदयपुर। विश्व योग दिवस के उपलक्ष में जिला स्तरीय योग सांस्कृतिक कार्यक्रम मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय उदयपुर में गुरूवार को आयोजित किया गया। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र उदयपुर के निदेशक फुरकान खान ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। सर्वप्रथम गणपति वंदना की गई। सुखाड़िया विश्वविद्यालय मॉर्निंग योगा क्लब जिनकी सभी की उम्र 65 से 70 के बीच है, द्वारा योग प्रस्तुति दी गई। उसके बाद योग पर आधारित लघु नाटक का मंचन किया गया।

सेंट एंथोनी के विद्यार्थियों ने एडवांस योगा की प्रस्तुति दी। उसके बाद योग की षष्ठ क्रिया का प्रदर्शन पूरण सिंह व देवाराम राजपुरोहित द्वारा किया गया। उसके बाद पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के लंगा गायक असीन खान ने अपनी बेहतरीन प्रस्तुति दी अंत में चकरी नृत्य की प्रस्तुति दी गई। जिसे सभी दर्शकों ने सराहा। मुख्य अतिथि विद्यालय के प्राचार्य प्रो. अशोक कुमार शर्मा थे।

कार्यालय नगरपालिका नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द (राज.)

Email:np_ntd@yahoo.co.in, nagarpalikanathdwara@gmail.com Ph.02953-233526

क्रमांक /न.पा.नाथ./भूमि/25/7477 दिनांक: 12.6.2025

- : आपत्ती सूचना :-

एतदद्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित व्यक्ति द्वारा स्वायत्त शासन विभाग के ऑनलाईन पोर्टल पर पंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर अग्रांकित भूखण्ड/भवन का नामान्तरण कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त आवेदन में वर्णित सम्पत्ति के संबंध में किसी भी हितधारी को कोई आपत्ती हो तो सूचना प्रकाशन के सात दिवस में नगरपालिका कार्यालय में लिखित रूप से प्रस्तुत कर दें अन्यथा प्रकरण में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने एवं दस्तावेज पूर्ण पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए नामान्तरण स्वीकृति की कार्यवाही सम्पादित कर दी जायेगी :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम व पता	आवेदित सम्पत्ति का पता	पड़ौस का विवरण			
			पूर्व	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
1.	श्री पवन कुमार खण्डेलवाल पिता श्री जमनालाल खण्डेलवाल निवासी रावतों का दरवाजा, नाथद्वारा जिला-राजसमन्द	विट्ठलनाथ जी मंदिर की गली, नाथद्वारा क्षैत्रफल 508.25 वर्गफिट	रास्ता व कृष्णकांत जोशी का मकान	मकान श्री भंवरलाल एवं विट्ठलनाथ जी कांटिज	भूखण्ड वल्लभदास जी सांचीहर	मकान श्री भंवरलाल कुमावत

आयुक्त, नगपालिका नाथद्वारा

नाम परिवर्तन

मैं प्रेम कंवर (PREM KANWAR) पत्नी भेरू सिंह बल्ला निवासी झांझर तहसील व जिला राजसमंद अपना नाम बदलकर प्रेम कुंवर (PREM KUNWAR) रख लिया है भविष्य मे मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे।

नाम परिवर्तन

मैं भैरू सिंह बल्ला (BHAIRU SINGH BALLA) पिता अभय सिंह जी निवासी झांझर तहसील व जिला राजसमंद अपना नाम बदलकर भेरू सिंह बल्ला (BHERU SINGH BALLA) रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावे।

आम-सूचना
भारत सरकार

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण मंत्रालय, राजस्थान, राज्य स्तरिय राजस्थान के पत्र क्रमांक संख्या F1(4)/SEIAA/SEAC-Raj/Sectt/Project/Cat.B1(23690)/2023-24 Jaipur Dated 30-09-2024 के द्वारा मेसर्स राजलक्ष्मी ग्रेनीटो प्राइवेट लिमिटेड को निकट ग्राम-अनोपपुरा, तहसील देवगढ व जिला-राजसमन्द में स्थित खनन पट्टा Ref. No. SIA/RJ/MIN/444969/2023, ML Area. 9.5667 हेक्टर,ML No. 131/2021 वास्ते खनिज-ग्रेनाइट, उत्पादन क्षमता 11,08,878 TPA के लिये पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है। उपरोक्त स्वीकृति की प्रति SEIAA, Rajasthan एवं राजस्थान प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल कार्यालय में जनसाधारण के लिए उपलब्ध है एवं मण्डल की वेबसाइटhttp://environmentclearance.nic.in पर देखी जा सकती है।

लिज धारक
राजलक्ष्मी ग्रेनीटो प्राइवेट लिमिटेड

शिविर आज

प्रतापगढ़। एसीईओ धनदान देथा ने बताया कि जिले में 20 जून, शुक्रवार को धरती आबा-जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत विभिन्न ब्लॉकों की ग्राम पंचायतों शिविरों का आयोजन किया जाएगा उन्होंने बताया कि ब्लॉक अरनोद की ग्राम पंचायत हिंगलाट, प्रतापपुरा व मोहेड़ा के डोराना राजस्व ग्रामों में शिविर आयोजित होंगे। इसी तरह ब्लॉक छोटीसादड़ी की ग्राम पंचायत कालाकोट, ईंटो का तालाब व धोलापानी में, प्रतापगढ़ ब्लॉक की ग्राम पंचायत मनोहरगढ़, आमलीखेड़ा व केरवास में, ब्लॉक धमोतर की ग्राम पंचायत बावड़ीखेड़ा, चिकलाड़ व बिहारा की जांबुखेड़ा, देवगढ़ की लालपुरा, व देवपुरा की जाम्बुवेला में, ब्लॉक दलोट की ग्राम पंचायत लिलियां के रिचड़ी, लापरियारूण्डी की कनाड़, सेवना की दुधिया तलाब, भचुण्डला की पीपरोड़ी व सातमहुड़ी की राणों का खेड़ा राजस्व ग्राम में शिविर आयोजित होंगे। इसी तरह से ब्लॉक धरियावद की ग्राम पंचायत मांडवी, लोडी माण्डवी, मानपुरा, भरकुण्डी, चरपोटिया व गोपालपुरा की आक्याखेड़ी, पारसोला की मोखमपुरा, गोठड़ा की बावड़ीखेड़ा में एवं ब्लॉक सुहागपुरा की ग्राम पंचायत वीरपुर व मोटीखेड़ा और कचोटिया की दौतड़, पटेलिया की साण्डनी, सुहागपुरा की डांगपुरा, ब्लॉक पीपलखूंट की ग्राम पंचायत जैथलिया व पीपलखूंट में राजस्व ग्राम में शिविर आयोजित होंगे।

गिट्स: तकनीकी प्रशिक्षण व उद्योग-उन्मुख कौशल विकास के लिए करार

उदयपुर। गीतांजलि इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज डबोक उदयपुर ने तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में एक और उपलब्धि हासिल की। संस्था ने टाटा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स, अहमदाबाद के साथ एक स्मरणीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सहयोग गिट्स के छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने और उन्हें इंडस्ट्री-रेडी स्किल्स से सुसज्जित करने की दिशा में एक सशक्त कदम है।

संस्थान के निदेशक डॉ एस एम प्रसन्ना कुमार ने बताया कि टाटा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स टाटा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक प्रमुख राष्ट्रीय स्तर की व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्था है, जिसकी स्थापना मार्च 2020 में की गई थी। यह संस्थान कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार तथा टाटा ग्रुप की साझेदारी से विकसित किया गया है। इसका का उद्देश्य उच्च-गुणवत्ता वाली तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के जरिए एक इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स तैयार करने के साथ-साथ विद्यार्थियों में इनोवेशन, लीडरशिप और टेक्निकल एक्सीलेंस की भावना भी विकसित करता है। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट हेड डॉ अरविन्द सिंह पेमावत के अनुसार इस करार के तहत विद्यार्थियों को इंडस्ट्री 4.0, एआइ / एमएल , आई वो टी , इलेक्ट्रिक व्हीकल, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे भविष्य के कौशलों पर केंद्रित प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। साथ ही फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स का संचालन और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स, हैंड्स-ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तथा इंटरनशिप एवं प्लेसमेंट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस अवसर पर वित्त नियंत्रक बी एल जांगीड ने इस साझेदारी को संस्था के लिए फ्यूचर-रेडी एजुकेशन की दिशा में एक निर्णायक कदम बताया।

गिट्स में तकनीकी प्रशिक्षण और उद्योग-उन्मुख कौशल विकास के लिए हुआ करार।

आरक्षित मूल्य पर औद्योगिक भूखण्डो का डायरेक्ट अलॉटमेन्ट प्रारम्भ

उदयपुर। उदयपुर जिले में रीको द्वारा विकसित किये गये विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में राइजिंग राजस्थान में एमओयू करने वाले निवेशको के लिए भूखण्डो के आरक्षित मूल्य पर 115 औद्योगिक भूखण्डों का प्रत्यक्ष आंवटन योजना 2025 की प्रक्रिया प्रारंभ हुई।

रीको के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक अजय पण्ड्या ने बताया कि योजना के तहत औद्योगिक क्षेत्र कलडवास विस्तार,, आमली व नवीन औद्योगिक क्षेत्र श्रीराम जानकी औद्योगिक औद्योगिक क्षेत्र माल की टूस में औद्योगिक भूखण्डों का प्रत्यक्ष आंवटन योजना 2025 के द्वितीय चरण की शुरूआत दिनांक 16 जून 2025 से हो चुकी है। इसमें धरोहर राशि 16 जून से 27 जून 2025 शाम 6 बजे तक जमा कराई जाएगी। ई-लॉटरी 2 जुलाई 2025 को सुनिश्चित की गई है। पण्ड्या ने बताया कि प्रत्यक्ष आंवटन योजना 2025 में भाग लेने हेतु इच्छुक आवेदकों को ऑनलाईन आवेदन करते समय प्रारम्भ भूखण्ड का 360 डिग्री फोटो व्यू एवं गुगल लोकेशन भी दिखेगा, जिससे आवेदको को भूखण्ड के आस-पास की पूरी स्थिति की जानकारी प्राप्त होने के साथ-साथ भूखण्ड के चयन करने व बोली लगाने में आसानी होगी। औद्योगिक क्षेत्र कलड़वास (विस्तार) में 6 औद्योगिक भूखण्ड, औद्योगिक क्षेत्र आमली में 65 औद्योगिक भूखण्ड, एवं औद्योगिक क्षेत्र श्रीराम जानकी माल की टूस में 44 औद्योगिक भूखण्ड, को प्रत्यक्ष आंवटन योजना 2025 के तहत रखा गया हैं। इनमें 2 भूखण्ड महिला उद्यमियों , 1 भूखण्ड बेंचमार्क दिव्यांगता, 1 भूखण्ड सशस्त्र बलों/ अर्द्ध सैनिक बलों के मृतकों के लिये व 1 भूखण्ड भूतपूर्व सैनिको के लिये आरक्षित है।

राइजिंग राजस्थान में एमओयू करने वाले निवेशका को 25 प्रतिशत राशि जमा कराने के बाद शेष 75 प्रतिशत राशि का भूगतान 11 त्रैमासिक किश्तो में मय 8.5० प्रतिशत ब्याज के साथ या 12० दिनो के भीतर ब्याज रहित भुगतान की सूविधा है। साथ ही सफल बोलीदाता द्वारा 25 प्रतिशत राशि जमा कराते ही आवंटन पत्र व भूखण्ड का कब्जा भी प्रदान कर दिया जायेगा।

जनसुनवाई में डेढ़ साल पुराना मामला डेढ़ दिन में सुलझा

उदयपुर। जनसुनवाई में आमजन की कई समस्याओं का त्वरित निस्तारण होने से लोगों को राहत मिल रही है और लोग सुशासन का अहसास कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला उदयपुर जिले में देखने को मिला। यहां एक परिवादी की डेढ़ साल पुरानी समस्या का मात्र डेढ़ दिन में निस्तारण हुआ। उदयपुर जिले के फतहपुरा निवासी ज्ञान प्रकाश सोनी की ईसवाल गांव में निजी भूमि है। उक्त भूमि में 11 केवी बिजली लाइन गुजर रही थी, जिसे सड़क की ओर शिफ्ट करवाने के लिए सहायक अभियंता कार्यालय बड़गांव में आवेदन किया। निगम ने 34184 रूपए की डिमाण्ड जारी की, जिसे प्रार्थी ने 16 अक्टूबर 2023 को जमा करा दिया। राशि जमा कराने के बावजूद निगम लाइन शिफ्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि एक शराब ठेकेदार ने उसके परिसर के पास खंबा लगाने पर आपत्ति दर्ज कराई थी। प्रार्थी ने बताया कि सड़क सरकारी भूमि पर बनी हुई है तथा उस पर पहले से 4 खंभे भी लगे हुए हैं। इसके बावजूद निगम की ओर से लाइन शिफ्टिंग नहीं की गई और सड़क के दूसरे छोर पर लाइन शिफ्ट का प्रस्ताव बनाते हुए प्रार्थी को 86870 रूपए का नया डिमाण्ड नोटिस भिजवा दिया। समस्या का समाधान नहीं होने पर प्रार्थी ने 15 मई 2025 को आयोजित जिला स्तरीय जनसुनवाई में जिला कलेक्टर नमित मेहता के समक्ष अपनी समस्या रखी। जिला कलेक्टर मेहता ने मामले की गंभीरता को समझते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल मौके पर भेजने के निर्देश दिए। उसी शाम अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता और तहसीलदार मौके पर पहुंचे, जहाँ बिजली पोल को शिफ्ट करने में कोई आपत्ति नहीं जताते हुए संबंधित शराब ठेकेदार ने भी सहयोग किया। नतीजतन, 16 मई को बिजली लाइन को स्थानांतरित कर दिया गया और परिवादी से किसी प्रकार की अतिरिक्त राशि भी नहीं ली गई।

- ऐसा ही एक मामला उदयपुर जिले में देखने को मिला। यहां एक परिवादी की डेढ़ साल पुरानी समस्या का मात्र डेढ़ दिन में निस्तारण हुआ

कार्यालय ग्राम पंचायत खेरोदा, पंचायत समिति भीण्डर जिला उदयपुर (राज.)

क्रमांक: -48 दिनांक-05.06.2025

-: ई निविदा सूचना संख्या : 01/2025-26:-

इस ग्राम पंचायत में महात्मा गांधी नरेगा तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज योजनान्तर्गत कराये जाने वाले निर्माण कार्यों के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निर्माण सामग्री की आपूर्ति हेतु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अनुसार राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियमो के तहत जी.एस.टी. में पंजीकृत / प्राधिकृत डीलर, एक मात्र वितरक, थोक विक्रेता, लघु उद्योग ईकाईया , सिद्ध विपणन कर्ताओं व सम्बन्धित संविदादारों को जो सम्बन्धित कार्य करते हो, से ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया द्वारा ऑनलाईन निविदाए निम्नानुसार आंमत्रित की जाती है। निविदादाता को नीचे दिये गये विवरण के अनुसार निविदा शुल्क रू 1000 /- एवं धरोहर राशि रू 1,00,000 /-(निविदा की अनुमानित लागत का 02 प्रतिशत) के डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर चैक संबंधित ग्राम पंचायत के नाम से व प्रोसेसिंग फीस रू 1500 का डी.डी./बैकर चैक MD RISLJaipur के नाम GST रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र व अन्य प्रपत्र के साथ निर्धारित दिनांक व समय तक ग्राम पंचायत कार्यालय में जमा करवाना होगा। धरोहर राशि, निविदा शुल्क, प्रोसेसिंग फीस, रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी आवश्यक प्रमाण पत्र व अन्य वांछित दस्तावेज प्राप्त नहीं होने पर उस निविदादाता की ऑनलाईन निविदाऐ खोली नही जाएगी। निविदा से संबंधित विस्तृत शर्ते संलग्न की जा रही है। ऑनलाईन निविदाए निर्धारित दिनांक एवं समय पर क्रय कमेटी द्वारा ग्राम पंचायत मुख्यालय / निर्देशित स्थान पर खोली जायेगी। समस्त विवादो का न्याय क्षेत्र भीण्डर जिला उदयपुर होंगा।

क्र. सं.	नाम ग्राम पंचायत	अनुमानित लागत राशि (लाखों में)	धरोहर राशि (ग्राम पंचायत के नाम)	निविदा शुल्क	प्रोसेसिंग फीस (MD RISL Jaipur के नाम)	निविदा आवेदन डाउनलोड/ अपलोड करने की दिनांक	कार्यालय में निविदा शुल्क, धरोहर राशि व प्रोसेसिंग फीस जमा कराने की दिनांक व समय	निविदा खोलने की दिनांक व समय
1	खेरोदा	50.00 लाख	रू.100000	रूपये 1000	रूपये 1500	22.06.2025 सायं 6 बजे तक	23.06.2025 दोपहर 1बजे तक	23.06.2025 दोपहर 2 बजे तक

शर्ते-

1. निविदा सूचना व शर्ते एवं पूर्ण विवरण जानकारी sppp.rajasthan.gov.in व eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।
2. निविदा ग्राम पंचायत के लिए ई प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल eproc.rajasthan.gov.in पर ही प्रस्तुत की जावेगी। प्राप्त निविदाएं ग्राम पंचायत मुख्यालय / अथवा क्रय समिति द्वारा निर्देशित स्थान पर नियत तिथि व समय पर क्रय समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी। किसी भी निविदा को स्वीकार /अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार क्रय समिति एवं सक्षम प्राधिकारी का होगा।
3. निविदा के साथ नवीनतम जीएसटी प्रमाण पत्र एवं पिछले माह की जी.एस. टी. रिटर्न तथा आयकर पेन कार्ड की प्रति, पिछले वर्षो के टर्न ऑवर (सनदी लेखाकार द्वारा अंकेक्षित अन्तिम खाते व बेलेन्स शीट तथा आयकर विवरणी) की प्रति एवं अन्य वांछित प्रपत्र संलग्न करना आवश्यक है।
4. सशर्त डाक व ई मेल से प्रेषित निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. शेष शर्ते निविदा प्रपत्र में अंकित अनुसार होगी।

प्रशासक
ग्राम पंचायत खेरोदा
पं.स.भीण्डर, जिला-उदयपुर (राज.)

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत खेरोदा
पं.स.भीण्डर, जिला-उदयपुर (राज.)

कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर (राज.)

क्रमांक: F 7 (12) PLAN/ LANDUSE/2024-25/1013 दिनांक : 19/6/2025

आम-सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार के द्वारा गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य सिविल रिट संख्या 1554/2004 में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के द्वारा पारित निर्णय के क्रम में सरकार के विभागीय आदेश दिनांक 20-07-2017 के अनुसार एवं राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर वृहद/व्यापक जनहित के दृष्टिगत मास्टर प्लान में भू-उपयोग परिवर्तन अनुज्ञये किये जाने के संबंध में प्रदत्त आदेशों/परिपत्रों की अनुपालना में निम्नलिखित प्रकरण भू-उपयोग परिवर्तन बाबत् विचाराधीन है।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	राजस्व ग्राम /योजना	खसरा संख्या /ब्लॉक संख्या	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	भूखण्ड/भूमि की स्थिति	भू-उपयोग परिवर्तन
1	मैसर्स भौमिक ब्रेन एण्ड स्पाईन हॉस्पीटल प्रा.लि.जरिये डायरेक्टर श्री उदय भौमिकपिता श्री भास्कर कुमार भौमिक	श्याम नगर भुवाणा आवासीय योजना	ब्लॉक-बी	संयुक्ति कृत भूखण्ड 227 +230	6972.50 वर्गफीट	श्याम नगर योजना भुवाणा में निरंकारी भवन के सामने स्थित 80 फीट सडक पर रत्नम होटल के समीप स्थित है।	आवासीय उपयोग से नर्सिंग होम/ हॉस्पीटल प्रयोजनार्थ

उक्त प्रकरण के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध मे यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो प्राधिकरण कार्यालय में इस सूचना जारी होने की तिथि से 15 दिवस में किसी भी कार्य दिवस में निम्नहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत कर सकते है। इस समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर भू-उपयोग परिवर्तन बाबत अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

सचिव, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

कार्यालय नगरपालिका नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द (राज.)

Email: np_ntd@yahoo.in Phone:- 02953-233526

क्रमांक /न.पा.नाथ./नामा./2025/7499 दिनांक: 12.6.2025

- : आपत्ती सूचना :-

एतर्थ द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित व्यक्तियों द्वारा जरिये क्रय शुद्वा/पट्टाशुद्वा के आधार पर भूखण्डों का नामान्तरण/नाम हस्तान्तरण का स्वयं के नाम पर निम्नांकित वर्णित सम्पत्ति पर नामान्तरण/नाम हस्तान्तरण कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त आवेदन के संबंध में किसी भी हितधारी को कोई आपत्ती हो तो सात दिवस (कार्य दिवस) में नगरपालिका कार्यालय में लिखित रूप से प्रस्तुत कर दें अन्य था प्रकरण में कोई आपत्ती प्राप्त नहीं होने एवं दस्तावेज पूर्ण पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए उक्त प्रकरणो में आगामी कार्यवाही सम्पादित कर दी जायेगी।

क्र. सं.	आवेदक का नाम व पता	आवेदित सम्पत्ति कापता	पड़ौस का विवरण			
			पूर्व	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
1.	श्री चन्द प्रकाश जोशी पिता श्री किशन लाल जोशी निवासी-कालका माता रोड, उदयपुर	भूखण्ड संख्या-42 क्षैत्रफल-1250 कृष्णा नगर, बागोल रोड नाथद्वारा	भूखण्ड संख्या-41	भूखण्ड संख्या-43	भूखण्ड संख्या-33	30 फिट रोड

आयुक्त, नगपालिका नाथद्वारा

प्रारूप-10 (नियम-6 (7) देखिए)

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगर पालिका, नाथद्वारा जिला-राजसमन्द

सं.7864 दिनांक:18/6/2025

-:लोक-सूचना:-

खातेदार भाटिया प्रोबिल्ड प्रा.लि.नाथद्वारा जिला-राजसमन्द जरिये निदेशक श्री मनोहरलाल पिता श्री ठाकुरदास भाटिया निवासी 99, सुखाडिया नगर, रामपुरा रोड़ नाथद्वारा एवं श्री मनीष कुमार भाटिया पिता श्री रामकृष्ण भाटिया निवासी सिन्धी कॉलोनी, नाथद्वारा, तहसील - नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द द्वारा इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर- कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात-

क्र.स.	तहसील का नाम जिले सहित	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल
1	नाथद्वारा जिला-राजसमन्द	उपली ओडन	खसरा नम्बर-601	रकबा 0.1138 हैक्टेयर
			खसरा नम्बर-602	रकबा 0.0696 हैक्टेयर
			खसरा नम्बर-607	रकबा 0.506 हैक्टेयर
			खसरा नम्बर-608	रकबा 0.0253 हैक्टेयर
			खसरा नम्बर-609	रकबा 0.0632 हैक्टेयर
			खसरा नम्बर-610	रकबा 0.3162 हैक्टेयर
			खसरा नम्बर-611	रकबा 0.3035 हैक्टेयर
			खसरा नम्बर-612	रकबा 0.0632हैक्टेयर
			खसरा नं.-2905/617	रकबा 0.1138 हैक्टेयर
			खसरा नं.-2906/618	रकबा 0.1391 हैक्टेयर
			खसरा नं.-2908/617	रकबा 0.2150 हैक्टेयर
			खसरा नं.-2909/618	रकबा 0.0379 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 07 दिन के भीतर-भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 18/06/2025 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त, नगर पालिका नाथद्वारा

कार्यालय ग्राम पंचायत खेरोदा, पंचायत समिति भीण्डर, जिला उदयपुर

क्रमांक: -033 दिनांक-02.06.2025

ई-/ निविदा सूचना संख्या .. (वित्तीय वर्ष 2025-26)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत खेरोदा पंचायत समिति भीण्डर के अधीनस्थ ग्रामों में वित्तीय वर्ष 2025-26 में घर एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से कचरा संग्रहण एवं पृथकक्करण, गांवों की सड़क एवं नाली सफाई कार्य तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसर की सफाई कार्य की सेवाओं हेतु इच्छुक जी.एस.टी. पंजीकृत निविदादाओं/फर्मो से निविदाएं आमन्त्रित की जाती है। निविदा फार्म/शर्ते ऑनलाईन/कार्यालय में उपलब्ध है।

क्र. सं.	बोली का विवरण	अनुमानित लागत राशि (रूपये में)	बोली प्रतिभूति राशि (रूपये में)	बोली प्रपत्र शुल्क (रूपये में)	M.D RISL शुल्क (रूपये में)	बोली प्रपत्र डाउनलोड एवं अपलोड शुरू करने की दिनांक व समय	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक व समय	बोली खोलने की दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ग्राम पंचायत के समस्त गांवों में घर-घर (आवासीय एवं व्यवसायिक) से कचरा संग्रहण एवं पृथकक्करण, सड़क एवं नाली सफाई, तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसर की सफाई सहित कार्य	15.00 लाख	30000/-	1000/-	500/-	12.06.2025 प्रात:10 बजे से 23.06.2025 5 बजे तक	24.06.2025 को 12 बजे तक	24.06.2025 को दोपहर 1 बजे से

1. निविदाप्रपत्र कार्यालय ग्राम पंचायत खेरोदा पंचायत समिति भीण्डर, जिला उदयपुर से व्यक्तिश: अथवा http://sppp.rajasthan.gov.in व http://www.eproc.rajasthan.gov.in पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क एवं अमानत राशि के मूल डी.डी./बैंकर चेक की प्रति ऑनलाईन तकनिकी निविदा के साथ संलग्न कर अपलोड करनी होगी। साथ ही निविदा शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क एवं अमानत राशि का डी.डी./बैकर चेक निविदा खोलने की दिनांक 26/5/25 को 12 बजे तक जमा करानी होगी।
2. निविदाआमंत्